तटस्थ उद्धरण 2009: सीजीएचसी: 9035

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रंमाक **3649/2003**

इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रंमाक **3785/2006**

इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

05 मई, 2009 को निर्णय और आदेश की उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रंमाक **3649/2003**

याचिकाकर्ता — इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, सी/ओ चोपड़ा एंटरप्राइजेज, सी एंड एफ एजेंट, 8-ए, रिक्रिएशन ग्राउंड, चौबे कॉलोनी, रायपुर।

बनाम

उत्तरदातागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, रायपुर।
2. आयुक्त वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ राज्य शासन, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और

रिट याचिका क्रंमाक **3785/2006**

याचिकाकर्ता — इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, सी/ओ चोपड़ा एंटरप्राइजेज, सी एंड एफ एजेंट, 8-ए, रिक्रिएशन ग्राउंड, चौबे कॉलोनी, रायपुर।

बनाम

उत्तरदातागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, रायपुर।
2. आयुक्त वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ राज्य शासन, रायपुर।
3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर।

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित: श्री एच.एस. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के साथ।

श्री आलोक बख्शी, राज्य के सरकारी अधिवक्ता।

निर्णय और आदेश

(आज दिनांक **5** मई**, 2009** को पारित)

1. दोनों याचिकाओं में समान तथ्य और विधि का प्रश्न सम्मिलित है, अतः इन पर इस समान आदेश द्वारा विचार किया जा रहा है और इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. रिट याचिका क्रंमाक 3649/2003: इस याचिका में चुनौती दिनांक 7-7-2003 (अनुलग्नक - पी/3) के आदेश को दी गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्यिक कर आयुक्त ने याचिकाकर्ता को क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (मलेरिया रोधी) (थोक औषधि) की बिक्री मिलने वाली छूट को इस आधार पर रोक दिया था कि इस औषधि का उपयोग जीवन रक्षक औषधि के रूप में नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. रिट याचिका क्रंमाक 3785/2006: इस याचिका में दिनांक 7-7-2003 (अनुलग्नक-पी/3) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्यिक कर आयुक्त ने याचिकाकर्ता को क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (थोक औषधि) ब्रांड नाम "लिरियागो-डीएस" की बिक्री पर मिलने वाली छूट को इस आधार पर रोक दिया था कि इस औषधि का उपयोग जीवन रक्षक औषधियों के रूप में नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचना संख्या एफ/10-10/2001/सीटी/वी(4) दिनांक 30 मार्च, 2001 (अनुलग्नक-पी/1) के तहत छूट नहीं दी जा सकती। इसके विरुद्ध दिनांक 25-2-2006 (अनुलग्नक-पी/5) को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था, जिसके स्पष्टीकरण में दिनांक 7-7-2003 (अनुलग्नक-पी/3) का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दोनों रिट याचिकाओं में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय

48, कंदवली इंडस्ट्रियल एस्टेट, मुंबई में है। यह एक औषधि निर्माण कंपनी है और मलेरिया-रोधी औषधि क्लोरोक्वीन फॉस्फेट बनाती है, जिसे "लिरियागो-डीएस" ब्रांड नाम से जाना जाता है। कंपनी अन्य औषधि कंपनियों को भी क्लोरोक्वीन फॉस्फेट पाउडर या गोलियों के रूप में आपूर्ति करती है और वे इसे अपने ब्रांड नामों से गोलियों, तरल पदार्थ, कैप्सूल और इंजेक्शन के रूप में बेचते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दिनांक 30-3-2001 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम, 1994 (संक्षेप में *"*अधिनियम, *1994"*) के प्रावधानों के अंतर्गत जीवन रक्षक औषधियों को करों के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान की गई। यह छूट 1-4-2001 से 31-3-2002 तक की अवधि के लिए दी गई थी। इसे बाद की अधिसूचना संख्या 33 दिनांक 27-3-2002, अधिसूचना संख्या 15 दिनांक 29-3-2003 और अधिसूचना संख्या 19 दिनांक 23-2-2004 द्वारा 31-3-2005 तक समय-समय पर बढ़ाया गया। जिसमें निम्नलिखित औषधियों को जीवन रक्षक औषधियों के रूप में अधिसूचित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) मलेरिया-रोधी औषधि

(i) क्लोरोक्विन फॉस्फेट

(ii) इंजेक्शन: क्विनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड

(iii) इंजेक्शन: क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड

(2) कार्टिकास्टेरॉइड्स

(i) डेक्सामेथोसोन

(ii) बीटामेथोसोन

(iii) हाइड्रोकार्टिसोन

(iv) प्रीडिन्सोलोन

(3) प्लाज्मा विस्तारक

(i) डेक्सट्रोज 5%

(ii) डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड

(iii) हेममासेल, सारासेल

(iv) मैनिटोल

(v) मोरल लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट

(vi) सोडियम क्लोराइड

(vii) ह्यूमन एल्बम

(viii) संपूर्ण मानव रक्त

(ix) ताजा जमे हुए प्लाज्मा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) हृदय विकारों में औषधि का उपयोग

(i) डिगोक्सिन, प्रोसिलेरिडियम

(ii) डोपामाइन

(iii) मेफेटर्मिन, मेक्सिलेटिन

(5) एंटी कोगुलेंट्स और एंटीथ्रोम्बोटिक्स

(i) कम आणविक भार हेपरिन

(ii) फाइब्रिनोल्विटीज

(iii) यूरोल मासे

(iv) स्ट्रेप्टोकाइनेज

(v) अल्टेप्लेस

(6) कैंसर / हृदय रोग में प्रयुक्त दर्द निवारक

(i) पेथिडीन

(ii) मॉर्फिन

(iii) पेंटाज़ोसाइट

(7) शॉक में इस्तेमाल होने वाली औषधियों

(i) एड्रेनालाईन

(ii) नॉरएड्रेनालाईन

(iii) मेथेम्बार्मिन

(iv) डीपीपैनिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) मधुमेह-रोधी

(i) इंसुलिन

(9) अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव में प्रयुक्त दवाएं

(i) मेड्रोक्सी प्रोग्रेस्टोरोन (प्रोवेरा)

5. याचिकाकर्ता, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का निर्माता होने के नाते, 30-3-2001 की अधिसूचना क्रमांक 1 के तहत अधिसूचनाओं (उपरोक्त) के तहत छूट का दावा करता है। वर्ष 1-4-2002 से 31-3-2003 के लिए मूल्यांकन अधिकारियों ने अधिसूचना के प्रावधानों के तहत छूट प्रदान किए बिना उपरोक्त औषधियों की आपूर्ति के लिए राज्य कर के साथ-साथ केंद्रीय कर

के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन किया। याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 1994 की धारा 68 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के बिक्री कर विभाग के सचिव को प्रतिनिधित्व दिया। सचिव ने देखा कि याचिकाकर्ता छूट का हकदार नहीं है क्योंकि वह क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (थोक औषधि) का उत्पादन करता है, इसे खुले बाजार में नहीं बेचा जाता है बल्कि यह कच्चा माल है। याचिकाकर्ता इसे दवा की दुकानों को भी आपूर्ति करता है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि सचिव का यह निष्कर्ष कि क्लोरोक्वीन फॉस्फेट को पाउडर के सामान्य रूप में बेचे जाने पर कर से छूट नहीं मिलती है और 30-3-2001 की अधिसूचना के तहत केवल तभी छूट मिलती है जब इसे टैबलेट के रूप में बेचा जाए, गलत है। अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि केवल टैबलेट को ही छूट मिलेगी या किसी भी रूप में यानी टैबलेट, पाउडर, तरल या निषेधाज्ञा वाली औषधियों को भी छूट मिलेगी। कर से छूट प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट औषधि पर कोई शर्त या प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, अधिसूचना में यह प्रदान नहीं किया गया है कि छूट केवल उन मेडिकल दुकानों के लिए उपलब्ध है जो उपभोक्ताओं को गोली के रूप में औषधियाँ बेचती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बख्शी ने सचिव द्वारा पारित आदेश और मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त, श्री बख्शी ने तर्क दिया कि जीवन रक्षक औषधियाँ मेडिकल दुकानों के माध्यम से बेची जा रही हैं और मरीज़ों द्वारा खाई जा रही हैं और, इस प्रकार, याचिकाकर्ता कंपनी को जीवन रक्षक औषधियों का विक्रेता नहीं कहा जा सकता और इस प्रकार याचिकाकर्ता किसी भी छूट का दावा करने का हकदार नहीं है। श्री बख्शी ने आगे तर्क दिया कि अपील में जाने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जिसका याचिकाकर्ता बिना किसी कारण के लाभ उठाने में विफल रहा है और, इस प्रकार, याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

8. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

9. यह स्पष्ट है कि क्लोरोक्वीन फास्फेट का उपयोग मलेरिया-रोधी औषधि के रूप में किया जाता है जैसा कि अधिसूचना में जीवन रक्षक औषधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अधिसूचना में कहीं भी टैबलेट के रूप में बेचे जाने पर बिक्री में छूट का प्रावधान नहीं है, और न ही किसी अन्य रूप में। जीवन रक्षक औषधियों के लिए छूट का उद्देश्य औषधियों की लागत को कम करना है। यदि इसे बिना छूट के थोक में बेचा जाता है, तो यह अधिसूचना के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, क्योंकि टैबलेट या औषधि के किसी अन्य रूप की लागत कम नहीं होगी जैसा कि 30-3-2001 की अधिसूचना का उद्देश्य प्रतीत होता है। निर्विवाद रूप से, क्लोरोक्वीन फास्फेट अधिसूचना में निर्दिष्ट औषधि है। नीचे के अधिकारियों ने अधिसूचना की भावना और उसमें प्रयुक्त भाषा के अर्थ को नहीं समझा है।

10. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कराधान या कराधान से छूट के मामले में शामिल वस्तुओं को उनके प्रचलित नाम से ही समझा जाना चाहिए, न कि तकनीकी या वैज्ञानिक अर्थ से। "लिरियागो-डीएस" को सभी मलेरिया-रोधी औषधि के रूप में जानते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मर्करी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[1] मामले में, जहां जीवन रक्षक औषधियों को छूट देने पर विचार किया जा रहा था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिसूचना को उन निर्दिष्ट औषधियों तक सीमित नहीं किया जा सकता जिन्हें उसी नाम से बेचा जाना है।

12. क्लोरोक्वीन फॉस्फेट इंजेक्शन (लारियागो) एक औषधि है, जिसका उपयोग गंभीर मलेरिया, विशेष रूप से गंभीर फाल्सीपेरम मलेरिया के उपचार में किया जाता है, जब प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम क्लोरोक्वीन के प्रति संवेदनशील होता है।

13. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (संक्षेप में *"अधिनियम, 1940"*) में "औषधि" शब्द को परिभाषित की गई है। अधिनियम, 1940 की धारा 3 (ख) इस प्रकार है:

> "[(ख) "औषधि" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, -

[1](2000) 119 STC 271

[(i) मनुष्यों या पशुओं के आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए सब ओषधियां और सब पदार्थ जो मनुष्यों या पशुओं में किसी रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या निवारण के लिए या उसमें उपयोग के लिए आशयित हैं, और जिनके अन्तर्गत मच्छरों जैसे कीटों के प्रतिकर्षण के प्रयोजन के लिए मानव शरीर पर लेप की जाने वाली निर्मितियां भी हैं;

(ii) मानव शरीर की संरचना या किसी क्रिया को प्रभावित करने के लिए आशयित या ऐसे [पीड़क जन्तु] अथवा कीटों के, जो मनुष्यों या पशुओं में रोग पैदा करते हैं विनाश के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए मनुष्यों या पशुओं में रोग पैदा करते हैं विनाश के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित (खाद्य से भिन्न) ऐसे पदार्थ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;
z

[(iii) सब पदार्थ जो ओषधि के संघटकों के रूप में उपयोग के लिए आशयित हैं, जिनके अन्तर्गत खाली जिलेटिन कैपसूल भी हैं; तथा

(iv) ऐसी युक्तियां जो मनुष्यों या पशुओं में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या निवारण में आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए आशयित हैं, और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं;"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार, औषधि, किसी भी रूप में, पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन या किसी अन्य रूप में हो सकती है, यदि इसका उपयोग मानव या पशुओं में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए आंतरिक या बाह्य रूप से किया जाता है, जिसमें मच्छरों जैसे कीड़ों को दूर भगाने के उद्देश्य से मानव शरीर की त्वचा पर लगाई जाने वाली तैयार औषधियाँ शामिल हैं, औषधि के घटक के रूप में उपयोग के लिए इच्छित सभी पदार्थ, जिसमें खाली जिलेटिन कैप्सूल और अन्य ऐसे उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग मानव या पशुओं में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाह्य रूप से किया जाता है, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, औषधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

15. औषधि' का व्यापक अर्थ है। अधिनियम, 1940 की धारा (ख) (iii) में परिभाषित 'औषधि' में वे सभी पदार्थ शामिल हैं जिनका उपयोग घटक के रूप में किया जाता है, जिसमें खाली जिलेटिन कैप्सूल भी शामिल हैं। इस प्रकार, भले ही पाउडर या द्रव का उपयोग गोलियों,

कैप्सूल या इंजेक्शन के निर्माण में किया जाता हो, वे औषधि की परिभाषा में आते हैं और इसलिए, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (थोक औषधि) को औषधि नहीं होना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अधिसूचना में 'औषधि' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसका सेवन रोगियों द्वारा सीधे किया जा सकता है।

16. शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (पांचवां संस्करण - खंड 1) में 'चिकित्सा' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> "चिकित्सा
> **1** बीमारी और चोट के निदान और उपचार तथा स्वास्थ्य के संरक्षण का विज्ञान या अभ्यास; विशेष रूप से शल्य चिकित्सा पद्धतियों के बजाय औषधियों और आहार, आदतों आदि के नियमन द्वारा स्वास्थ्य को बहाल करने और संरक्षित करने का विज्ञान या अभ्यास।
> **2** बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ या तैयारी; औषधि, दवा; विशेष रूप से मुँह से ली जाने वाली औषधि। इसके अलावा, ऐसे पदार्थ सामान्यत: एक उपाय होते हैं, विशेष रूप से जो आवश्यक होते हैं लेकिन अप्रिय या अवांछनीय होता है।
> **3** उपचारात्मक उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त औषधि, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, विष, औषधि, आदि। एलएमई-ई**17**।
>
> **4** XXX XXX XXX
>
> **5** XXX XXX XXX"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. चैम्बर्स 21वीं सदी शब्दकोष (संशोधित संस्करण) में 'चिकित्सा' शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

> "चिकित्सा **1** ए कोई भी पदार्थ जिसका उपयोग रोग या बीमारी का इलाज करने या रोकने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से आंतरिक रूप से लिया जाता है; बी औषधि की बोतल की अलमारी। **2** बीमारी का इलाज करने या रोकने का विज्ञान या अभ्यास, विशेष रूप से सर्जरी के बजाय तैयार पदार्थों का उपयोग करना। **3** चिकित्सा अभ्यास या चिकित्सक का पेशा....."

18. चिकित्सा एक प्रणाली या औषधि हो सकती है, जिसका उपयोग रोग या बीमारी के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जो आंतरिक रूप से लिया जाता है।

19. इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि 30-3-2001 की अधिसूचना में विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (मलेरिया-रोधी) एक जीवन रक्षक औषधि है। अधिसूचना में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि यह टैबलेट हो या कैप्सूल, इंजेक्शन हो या तरल। इस प्रकार, याचिकाकर्ता, जो क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का थोक उत्पादन कर रहा है, 30-3-2001 की अधिसूचना के तहत छूट का हकदार है।

20. उपर्युक्त कारणों से, याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया हैं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Ananya Chatterjee